उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

सोमवार, 01 पौष, शक संवत् 1947

(22 दिसम्बर, 2025)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क')।

(12:20 बजे अपराह्न)

2-वित्त मंत्री, वित्तीय वर्ष 2025-2026 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों को प्रस्तुत करेंगे।

3-मुख्य मंत्री, खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2024-25 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अध्याय-7 'शिकायत निवारण तंत्र' की उपधारा-16(6)(च) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

4-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1701/ग्यारह-2-25-9(47)-17-टी0सी0-286-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(350)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

5-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1703/ग्यारह-2-25-9(47)-17-टी0सी0-288-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(351)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

6-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1706/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-291-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(352)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

7-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1707/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-292-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(353)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

8-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1708/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-293-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(354)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

9-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1709/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-294-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(355)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

10-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1711/ग्यारह-2-25-9 (42)-17-टी0सी0-74-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(356)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

11-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1705/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-290-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(357)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

12-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1710/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-295-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(358)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

13-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1702/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-287-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(359)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

14-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1700/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-285-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(360)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

15-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1704/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-289-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(361)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

16-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1699/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-284-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(362)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

17-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1771/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-297-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(363)-2025, दिनांक 03 अक्टूबर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

18-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1770/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-298-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(364)-2025, दिनांक 03 अक्टूबर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

19-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1769/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-296-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(365)-2025, दिनांक 03 अक्टूबर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

20-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1837/ग्यारह-2-25-9 (42)-17-टी0सी0-75-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(367)-2025, दिनांक 26 नवम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

21-वित्त मंत्री, वित्त प्रकोष्ठ द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 (भाग-1 से भाग-6 तक) को उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-186 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत

(बजट तथा सामान्य लेखा) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-176 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

22-जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 द्वारा यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

23-ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री, ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ द्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वशवर्ती और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयन्त्र) विनियमावलियां, 2024 को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

24-वित्त मंत्री, प्रदेश में शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

25-मुख्य मंत्री, लखनऊ के शहीद पथ को बंगला बाजार, बिजनौर रोड तथा कैण्ट आशियाना आदि जाने वाली रोडों को भी शहीद पथ से जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्रीमती वन्दना वर्मा व श्री किरण पाल कश्यप, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

26-मुख्य मंत्री, जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-लहरपुर तम्बौर रोड रेग्युलेटर से सूर्यकुण्ड मन्दिर तक शारदा नहर के किनारे सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी व श्री मुकुल यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

27-मुख्य मंत्री, जनपद-देवरिया के ब्लाक-गौरी बाजार में चौराहे से लकबनी व इन्दुपुर चौराहे से उसरी बुजुर्ग तक की सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 रतन पाल सिंह व डा0 हरी सिंह ढिल्लो, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

28-मुख्य मंत्री, जनपद-देवरिया में राज्य मार्ग (एस0एच0-111) से इन्दुपुर काली मन्दिर से लकवानी होते हुये भटौली एन0एच0-717 तक मार्ग का श्रेणी परिवर्तन तथा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 रतन पाल सिंह व श्री जितेन्द्र

सिंह सेंगर, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

29-मुख्य मंत्री, जनपद-लखनऊ के नगर निगम के अन्तर्गत सरोजनीनगर प्रथम वार्ड नं0-10 के ग्राम गहरू से पिपरसण्ड तक जाने वाली सड़क का नव निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुल यादव व श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

30-मुख्य मंत्री, जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत गोला-कुम्भी की ग्राम सभा-पीतलपुर ग्रन्ट के गनेशपुर झाऊपुर सम्पर्क मार्ग जनकपुर-अशर्फीपुर तक सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रजनीकान्त महेश्वरी व श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

31-मुख्य मंत्री, जनपद-वाराणसी के फरीदपुर रिंग रोड से फरीदपुर-सुरतापुर मुख्य मार्ग से इष्टदेव नारायण पाण्डेय की चहारदीवारी से श्री संतोष यादव की गली तक मार्ग का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 मान सिंह यादव व श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

32-मुख्य मंत्री, जनपद-लखनऊ के विकास खण्ड-काकोरी व सरोजनीनगर के अन्तर्गत नगर निगम वार्ड नम्बर-9 (कल्याण सिंह वार्ड) में मुजफ्फर खेड़ा चौराहे से सदरौना चौराहे तक जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण कर डामरीकरण तथा नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 सुधीर गुप्ता व डा0 जयपाल सिंह 'व्यस्त', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

33-मुख्य मंत्री, जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-बांकेगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-सिकन्दरपुर से लैलू नगर चौराहे तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता व श्री रजनीकान्त महेश्वरी, सदस्य विधान परिषद् द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

34-नगर विकास मंत्री, प्रदेश में आवारा खूँखार कुत्तों के हमलों से लोगों को बचाये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर पाठक व श्री दिनेश कुमार गोयल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

35-मुख्य मंत्री, जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत खैराबाद क्षेत्र में कसरैला खैराबाद-सीतापुर मार्ग में पंजाब नेशनल बैंक से होते हुए अकबरगंज गांव तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता व श्री रजनीकान्त महेश्वरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

36-मुख्य मंत्री, जनपद-झांसी, विकास खण्ड-मोंठ, ग्राम पंचायत-खरैला में कोमल सिंह के मकान से नहर कोठी तक कच्ची सड़क को डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर व श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

37-मुख्य मंत्री, जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-परसेण्डी अन्तर्गत पारा सराय चौराहे से होते हुए तालगांव तक डामर रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार सिंह व श्री राम चन्द्र प्रधान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

38-ऊर्जा मंत्री, जनपद-देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में नगर व गांवों के क्षतिग्रस्त विद्युत पोल व जर्जर तारों को बदलवाकर अविलम्ब कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 रतन पाल सिंह व श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

39-मुख्य मंत्री, जनपद-बाराबंकी के मुख्यालय पर एक बड़ा व भव्य सर्किट हाउस अविलम्ब बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अंगद कुमार सिंह व श्री राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

40-नगर विकास मंत्री, जनपद-बरेली की नगर पालिका फरीदपुर में लगने वाले जाम और अवैध बुद्ध बाजार को हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री कुँवर महाराज सिंह व श्री अविनाश सिंह चौहान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

41-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पुराने व जर्जर वृक्षों को वन विभाग द्वारा हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश द्विवेदी व इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

42-नगर विकास मंत्री, नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा बढ़ाये गये हाउस टैक्स को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार गोयल व श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

43-मुख्य मंत्री, जनपद-लखीमपुर खीरी के तहसील व विकास खण्ड-मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-देहरा अजीतपुर के देहरा से छपौरा तक पेंटेड रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता व श्री ऋषिपाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

44-मुख्य मंत्री, जनपद-प्रयागराज के विकास खण्ड-सोरांव में शिवगढ़ बाजार से पुराना शिवगढ़ नहर तक सड़क के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र चौधरी व श्री योगेश चौधरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

45-मुख्य मंत्री, जनपद-बाराबंकी के विकास खण्ड-सिरौली गौसपुर के कस्बा बदोसराय में एक बाईपास बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अंगद कुमार सिंह व डा0 लाल जी प्रसाद निर्मल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

46-नगर विकास राज्य मंत्री, वाराणसी नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा व श्री किरण पाल कश्यप, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

47-ऊर्जा मंत्री, प्रदेश में विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा आम-जनमानस के साथ विद्युत चोरी के नाम पर किये जा रहे दुर्व्यवहार, आर्थिक एवं मानसिक उत्पीड़न के सम्बन्ध में डा0 हरी सिंह ढिल्लो व डा0 सुधीर गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

48-ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में निहित शासनादेश के अन्तर्गत ऊर्जा निगमों में कार्यरत कार्मिकों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 जय पाल सिंह 'व्यस्त' व डा0 हरी सिंह ढिल्लो, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

49-मुख्य मंत्री, जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-लखीमपुर के अन्तर्गत ग्राम-बरखेरवा प्राथमिक विद्यालय से नहर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री रजनीकान्त महेश्वरी व श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

50-ऊर्जा मंत्री, प्रदेश में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री बलराम यादव व श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

51-गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री, जनपद-जालौन के माधौगढ़ में गन्ना मिल चालू कराने के सम्बन्ध में श्रीमती रमा निरंजन व श्रीमती वन्दना वर्मा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

52-मुख्य मंत्री, जनपद-बाराबंकी के विकास खण्ड-मसौली के कस्बा सफदरगंज में एक रेलवे ब्रिज बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अंगद कुमार सिंह व श्री उमेश द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

53-नगर विकास मंत्री, प्रदेश के नगर निगमों/नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के भवन स्वामियों के अभिलेखों में नामान्तरण करवाने के लिये नामान्तरण शुल्क कम करने के सम्बन्ध में श्री अरूण पाठक व श्री राम तीर्थ सिंघल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

54-मुख्य मंत्री, जनपद-देवरिया में सेमरौना-नकइल-मदनपुर मार्ग, राज्य मार्ग-111 एवं अन्य जिला मार्ग का लगभग 11 किमी0 मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 रतन पाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

55-मुख्य मंत्री, जनपद-शामली में ग्राम-लांख (मेरठ रोड से) हसनपुर लिसाढ़-किवाना-मखमूलपुर-कांधला लिंक रोड का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहित बेनीवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

56-मुख्य मंत्री, जनपद-कुशीनगर में धर्मपुर शिव मन्दिर मठिया-भोकरिया-सिवान पिच सम्पर्क मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में डा0 रतन पाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

57-मुख्य मंत्री, जनपद व तहसील-इटावा में महेराचुंगी फाटक से रेलवे लाइन के किनारे सुन्दरपुर तक लगभग 02 किमी0 डामर रोड व नाली बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

58-ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन में सहायक लेखाकारों के स्थायीकरण किये जाने के सम्बन्ध में इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

59-नगर विकास मंत्री, नगर पंचायत लालगंज अझारा, प्रतापगढ़ के अन्तर्गत सांगीपुर वार्ड में तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

60-ऊर्जा मंत्री, जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-कसमण्डा अन्तर्गत मास्टरबाग में जर्जर विद्युत लाइनों से हो रही समस्याओं के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

61-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-नवागाँव, तहसील-सिधौली, परगना-पीरनगर, विकास खण्ड-कसमण्डा, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से बारात घर का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ख')

62-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-बढ़ैया, मजरा-टिपोना, विकास खण्ड-मिश्रिख, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

63-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-मूलचन्द्रपुरवा, मजरा जमुनिया, विकास खण्ड-नकहा, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासियों की ओर से शारदा तटबन्ध के अन्दर की कृषि भूमि की उपज निकासी व नयी फसल बोने के लिए कृषि उपकरण, पशु आवागमन हेतु प्लाटून (पीपे का पुल) उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

64-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-भोगियापुर, पोस्ट-गुलौली, विकास खण्ड-मोहम्मदी, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

65-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-हरदुआ, विकास खण्ड-बामौर, जनपद-झांसी के निवासियों की ओर से नाले का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

66-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-सरसैंडा, विकास खण्ड-बामौर, जनपद-झांसी के निवासियों की ओर से गौशाला की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'छ')

67-श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल', सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-सगरा, परगना-सरेनी, तहसील-लालगंज, जनपद-रायबरेली के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ज')

68-डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत जगपाल खेड़ा, विज्ञान खण्ड, छोटा भरवारा, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'झ')

लखनऊ :
सोमवार, 01 पौष, शक संवत् 1947
(22 दिसम्बर, 2025)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
*1	26-9-2025
*2	26-9-2025
*3	26-9-2025
*4	26-9-2025
*5	30-9-2025
*6	7-11-2025
*7	26-11-2025
*8	12-12-2025
*9	12-12-2025
*10	12-12-2025
*11	12-12-2025
*12	12-12-2025
*13	12-12-2025
*14	12-12-2025
*15	12-12-2025

अतारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
1	26-9-2025
2	26-9-2025
3	26-9-2025
4	26-9-2025
5	26-9-2025
6	30-9-2025
7	30-9-2025
8	30-9-2025
9	30-9-2025
10	30-9-2025
11	13-10-2025
12	13-10-2025
13	13-10-2025
14	13-10-2025
15	13-10-2025
16	13-10-2025
17	13-10-2025
18	13-10-2025
19	13-10-2025
20	13-10-2025
21	13-10-2025
22	30-10-2025
23	30-10-2025
24	30-10-2025
25	30-10-2025
26	30-10-2025
27	30-10-2025
28	30-10-2025
29	30-10-2025
30	30-10-2025
31	30-10-2025
32	30-10-2025
33	30-10-2025
34	30-10-2025
35	30-10-2025
36	30-10-2025
37	30-10-2025
38	30-10-2025
39	30-10-2025
40	30-10-2025

नत्थी 'क'

सोमवार, दिनांक 22 दिसम्बर, सन् 2025 ई0

तारांकित प्रश्न

पुरानी पेंशन बहाल किये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव
1

*1-(क) क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल किये जाने हेतु सरकार की तरफ से दिनांक 01 सितम्बर, 2025 से दिनांक 15 सितम्बर, 2025 के मध्य कोई निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्री

(ख) क्या पुरानी पेंशन बहाल न होने के कारण प्रदेश के कार्मिकों में भारी रोष व्याप्त है ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

मृतक आश्रित कोटे के नगरीय निकाय निदेशालय में योग्यता अनुसार सेवायोजन न किये जाने के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 2 — नगर विकास मंत्री

*2-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि मृतक आश्रित कोटे के नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपने पत्र दिनांक 12-11-2024 में चाहे गये परामर्श के क्रम में नगर विकास अनुभाग-1 की ई-पत्रावली द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग, उ0 प्र0 शासन से दिनांक 27-11-2024 को परामर्श/अभिमत प्राप्त किया गया है ?

(ख) क्या कार्मिक विभाग द्वारा प्रदान किये गये परामर्श के अनुसार प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ?

(ग) यदि हाँ तो, अब तक कार्मिक विभाग के परामर्श/अभिमत के उपरान्त भी योग्यता अनुसार सेवायोजन न किये जाने का क्या कारण है ?

(घ) क्या उक्त प्रकरण की विस्तृत जांच कराते हुए जांच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री आशुतोष सिन्हा 3

*3-[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

जनपद-शामली के भैसवाल से लेकर ग्राम मलहेन्डी तथा पीरखेड़ा तक 1.5 किमी0 की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री किरण पाल कश्यप 4 — मुख्य मंत्री

*4-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद शामली के अन्तर्गत भैसवाल से लेकर ग्राम मलहेन्डी तक तथा झिंझाने से ग्राम पीरखेड़ा तक दोनों सड़कों का निर्माण हो चुका है, परन्तु बीच की लगभग 1.5 किमी0 की सड़क कच्ची है ?

(ख) क्या उक्त सड़कों को बनाये जाने पर विचार करेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' 5 — वित्त मंत्री

*5-(क) क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि विशेष सचिव, वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के आदेश दिनांक 02 जुलाई, 2024 द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों की अधिकतम ग्रेच्युटी सीमा वृद्धि कर रुपया 25 लाख की गयी है ?

(ख) यदि हां, तो क्या अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों को उक्त लाभ प्रदान करायेंगे ?

जनपद मैनपुरी के नये मोहल्लों की सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री मुकुल यादव 6	*6-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-मैनपुरी के नये मोहल्लों की सड़कों का निर्माण हुआ है ? (ख) यदि हां, तो कब हुआ है ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	नगर विकास मंत्री

उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों से लिये जाने वाले विद्युत बिलों के सम्बन्ध में

श्री लाल बिहारी यादव 7	*7-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थान जो छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं, माध्यमिक विद्यालय या डिग्री कालेज वह व्यवसाय हैं, या सामाजिक कार्य हैं, यदि सामाजिक कार्य हैं, तो व्यवसायिक विद्युत बिल क्यों लिया जा रहा है ? (ख) यदि हां, तो क्यों ?	ऊर्जा मंत्री
श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 8	*8-[अन्तरित]	

आउटसोर्सिंग के अन्तर्गत कार्यरत स्टाफ के कार्य के दौरान घायल या मृत्यु होने पर शासनादेश/नियमावली के सम्बन्ध में

श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' 9	*9-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि आउटसोर्सिंग के अन्तर्गत कार्यरत स्टाफ के कार्य के दौरान घायल या मृत्यु होने पर लाभ दिये जाने हेतु शासनादेश/नियमावली है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त नियमावली/शासनादेश सदन की मेज पर रखेंगे तथा जनपद उन्नाव में दिनांक 01 जनवरी, 2025 से दिनांक 31-08-2025 के मध्य घायल/मृत्यु होने वाले कर्मचारियों के नाम क्या हैं ? (ग) क्या विभाग द्वारा देय समस्त लाभ कर्मचारियों/आश्रितों को अद्यतन प्रदान कर दिये गये हैं ?	ऊर्जा मंत्री

कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के रोके गये राहत भत्तों के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 10	*10-(क) क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए प्रदेश के सेवानिवृत्त सहायता प्राप्त	वित्त मंत्री

माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को छोड़ करके काटे गये राहत भत्तों को राज्य कर्मचारियों की भाँति अभी तक प्रदान न किये जाने का औचित्य क्या है ?

(ख) क्या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ प्राथमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों के रोके गये राहत भत्तों के न प्राप्त कराने का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उन्नाव द्वारा सेवानिवृत्त/मृतक शिक्षकों के आश्रितों की पेंशन के सम्बन्ध में

श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' 11

*11-(क) क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उन्नाव द्वारा सेवानिवृत्त/मृतक शिक्षकों के आश्रितों की पेंशन स्वीकृति हेतु कुल कितने प्रकरण अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को दिनांक 01-01-2025 से दिनांक 31-08-2025 के मध्य प्रेषित किये गये हैं ? — वित्त मंत्री

(ख) उक्त शिक्षकों एवं मृतक आश्रितों का विवरण क्या है ?

(ग) क्या समस्त आवेदकों को पेंशन एवं अद्यतन स्वीकृति प्रदान करायेंगे ?

पुरानी पेंशन बहाल किये जाने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 12

*12-(क) क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि पुरानी पेंशन बहाल किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 16 अगस्त, 2025 से दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 तक अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त को कितने पत्र विभिन्न संगठनों से प्राप्त हुये हैं ? — वित्त मंत्री

(ख) क्या पुरानी पेंशन बहाल किये जाने की कोई कार्य योजना बनाने पर विचार किया जा रहा है ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुल यादव 13

*13-[अत्यधिक लम्बा होने के आधार पर निरस्त।]

चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, लखनऊ से शहीद पथ को जोड़ने वाले बनाये गये फ्लाईओवर व कानपुर रोड से जुड़े शहीद पथ का क्षेत्रवासियों को लाभ प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री लाल बिहारी यादव 14 — मुख्य मंत्री

*14-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, लखनऊ से शहीद पथ को जोड़ने वाले बने नये फ्लाईओवर व कानपुर रोड से जुड़े शहीद पथ, जेल रोड बंगला बाजार, आशियाना, एल0डी0ए0 कालोनी, रुचि खण्ड, रजनी खण्ड, रतन खण्ड, औरंगाबाद व केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, बिजनौर रोड आदि के समस्त क्षेत्रवासियों को क्या इसका लाभ मिल रहा है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुल यादव 15

*15-[अन्तरित]

अतारांकित प्रश्न

श्री अनूप कुमार गुप्ता 1 — नगर विकास मंत्री

1-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि नगर पंचायत ओयल ढुखवा में ''नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना'' के अन्तर्गत तालाबों का सौन्दर्यीकरण का कार्य कराये जाने हेतु पूर्व में प्रश्नकर्ता द्वारा आपको सम्बोधित पत्र सं0-MLC/LMP-062/2023, दिनांक 19-09-2023 के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की गयी है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या उक्त नगर पंचायत में ''नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना'' के अन्तर्गत उक्त तालाबों का सौन्दर्यीकरण करवायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 2 — नगर विकास मंत्री

2-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद लखनऊ के ग्राम-टिकरा, सरोसा भरोसा कल्याण सिंह वार्ड नं0-09 में नगर निगम के अन्तर्गत कितनी हाई मास्क लाइटें स्थापित करायी गयी हैं ?

(ख) क्या उक्त ग्राम सभा में ही विजय यादव पुत्र राम गुलाम यादव के मार्केट के सामने मास्क लाइट स्थापित न

होने के कारण ग्रामीणों/राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक विजय यादव पुत्र राम गुलाम यादव के मार्केट के सामने ग्रामीणों/राहगीरों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए हाई मास्क लाइटें लगवायेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनूप कुमार गुप्ता 3	3-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि नगर पंचायत ओयल ढुखवा में ''नगरीय सड़क सुधार हेतु व्यवस्था योजना'' के अन्तर्गत नगर की विभिन्न 35 सड़कों का निर्माण/विकास कार्य कराये जाने हेतु पूर्व में प्रश्नकर्ता द्वारा आपको सम्बोधित पत्र सं0-MLC/LMP-059/2023, दिनांक 19-09-2023 के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की गयी है ?	नगर विकास मंत्री

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या उक्त नगर पंचायत में ''नगरीय सड़क सुधार हेतु व्यवस्था योजना'' के अन्तर्गत नगर की उक्त सड़कों का निर्माण/विकास कार्यों को करायेंगे ?

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनूप कुमार गुप्ता 4	4-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि वर्तमान में महानगरों एवं जिला केन्द्रों पर रोस्टर के अनुसार कितने घण्टे की विद्युत आपूर्ति का प्राविधान किया गया है ?	ऊर्जा मंत्री

(ख) दिनांक 06 अगस्त, 2025 को मंत्री आवास विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ में रात्रि लगभग 08:00 बजे से विद्युत आपूर्ति लगातार दीर्घ समय तक बाधित रहने के क्या कारण थे ?

(ग) क्या विभाग द्वारा इस घटना की जाँच कराकर उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) क्या भविष्य में इस प्रकार की स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ऊर्जा विभाग द्वारा ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

(ङ) क्या ऊर्जा विभाग जनप्रतिनिधियों को विभागीय अधिकारियों की कार्य-प्रणाली की पारदर्शिता और तत्परता के प्रति आश्वस्त करेगा ?

(च) यदि हाँ, तो कब तक ?

(छ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 5 — 5-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि अर्द्ध0शा0 प0 सं0-162/9-7-25-78 (न)/202, दिनांक 17 जनवरी, 2025 के माध्यम से किन-किन स्थानों पर रोड व नाली छतिग्रस्त होने का उल्लेख करते हुए भविष्य में उक्त कार्यों का निर्माण कराए जाने का उल्लेख किया गया है ? — नगर विकास मंत्री

(ख) क्या उक्त पत्र में इंगित स्थानों पर रोड व नालियों का निर्माण करा दिया गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उक्त निर्माण कार्यों को पूर्ण करा दिया जायेगा ?

डा0 मान सिंह यादव 6 — 6-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-08-2025 जो ग्राम सभा-सैतापुर सराय, तहसील-लम्भुआ, जिला-सुल्तानपुर में लगे 25 के0वी0 के ट्रान्सफार्मर का लोड बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? — ऊर्जा मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(ग) क्या उक्त ट्रान्सफार्मर का लोड बढ़ा दिया गया है ?

(घ) क्या उक्त की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 7 — 7-(क) क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बतायेंगे कि ग्राम पंचायत-जोगपट्टी दमोदर, मजरे धर्मदासपुर, विकास खण्ड-जगतपुर, जनपद-रायबरेली जोकि अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत विभाग के अन्तर्गत है, के निवासियों को सोलर लाइट दिलाये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 09 अक्टूबर, 2024 जोकि प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? — अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री

(ख) यदि हां, तो उक्त पत्र में इंगित व्यक्तियों के घर के सामने सोलर लाइटें लगा दी गयी हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो कब तक उक्त पत्र में इंगित सभी व्यक्तियों के घर के सामने सोलर लाइटें लगवायेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 8	8-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि ग्राम पंचायत-पूरे दुनिया सिंह, मजरे अटौरा बुजुर्ग, जनपद-रायबरेली के निवासियों की ओर से विद्युत सम्बन्धी समस्या का निस्तारण कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 06 नवम्बर, 2024 जोकि प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या-क्या थे और उक्त बिन्दुओं के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	ऊर्जा मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 9	9-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ के फैजुल्लागंज में वार्ड द्वितीय के श्याम विहार कॉलोनी में जयसवाल जनरल स्टोर के पास सुरेन्द्र सिंह के मकान से मुकेश मिश्रा के मकान होते हुये विजय बहादुर सिंह के मकान तक सड़क तथा नाली नहीं है ? (ख) यदि हां, तो क्या उक्त नाली तथा इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हां, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	नगर विकास मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 10	10-(क) क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 30 जून, 2022 को पी0सी0एफ0, अमेठी के कार्यालय से सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों के अर्जित अवकाश/सभी देयकों का भुगतान करा दिया गया है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उक्त के सम्बन्ध में विलम्ब करने वाले सम्बन्धित जिम्मेदारों का उत्तरदायित्व निर्धारित करायेंगे ? (घ) क्या उक्त के सम्बन्ध में ही प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26 अगस्त, 2025 जोकि मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित था, भी प्राप्त हुआ है ?	सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 11	11-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, नगर पंचायत-हरगांव में गुरुदेवनगर वार्ड नहर रोड के निकट बिड़ला विद्या मन्दिर इण्टर कालेज के स्व0 कुसुमलता श्रीवास्तव के मकान से विजय लोधी के मकान	नगर विकास मंत्री

तक नाली नहीं है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त नाली का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 12	12-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जे0बी0 गार्डेन कालोनी पूर्वीदीन खेड़ा पारा, लखनऊ में कितने भवनों का असेसमेन्ट ''मूल्यांकन'' या ''आकलन'' किया गया है ? (ख) क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) क्या जिन भवनों का असेसमेन्ट नहीं हुआ है, उन भवनों का असेसमेन्ट करायेंगे ? (घ) यदि हां, तो कब तक ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	नगर विकास मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 13	13-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, 2025 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-3 के खण्ड (ख) में जो बताया गया है कि उक्त मार्ग का 4.31 लाख आगणन तैयार कर लिया गया है, उक्त कार्य को कराया जाना निकाय बोर्ड की बैठक तथा वित्तीय उपलब्धता पर निर्भर है ? (ख) क्या उक्त सड़क का निर्माण करा दिया गया है ? (ग) यदि नहीं, तो कब तक उक्त सड़क का निर्माण करायेंगे ? (घ) उक्त कार्य को अभी तक नहीं कराने के क्या कारण हैं ? (ङ) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (च) यदि नहीं, तो क्यों ?	नगर विकास मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 14	14-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जे0बी0 गार्डेन कालोनी पूर्वीदीन खेड़ा पारा, लखनऊ में विनायक ट्रेडर्स से बबलू सिंह के मकान तक कितने सीवर के ढक्कन टूटे हुये हैं ? (ख) क्या उक्त सीवर के ढक्कनों के टूटने के कारण प्रायः वहाँ दुर्घटनाएं हुआ करती हैं ? (ग) क्या उक्त टूटे हुए ढक्कनों को बदलवायेंगे ?	नगर विकास मंत्री

	(घ) यदि हां, तो कब तक ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	
डा0 मान सिंह यादव 15	15-(क) क्या वन मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2022 से दिनांक 15 सितम्बर, 2025 तक प्रयागराज व झांसी मण्डल के अन्तर्गत कितने नये पेड़ों को लगाया गया है और उन पर कितनी धनराशि का व्यय हुआ है ? (ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	वन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)
श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 16	16-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-गोरखपुर में नौसढ़ से बाघा गाडा तक नाला बनाने के निर्देश आपके द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 24 अगस्त, 2025 को गोरखपुर मण्डल के विधान मण्डल सदस्यों की बैठक में प्रदान किया गया था ? (ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ? (घ) जनहित में उपरोक्त कार्य की स्वीकृति कब तक प्रदान करायेंगे ?	मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 17	17-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि ग्राम बन्डा खेड़ा बहरू काकोरी, लखनऊ में श्री कुलदीप यादव उर्फ सोनू यादव के घर के पास लगा विद्युत पोल जर्जर अवस्था में होने के कारण लटक गया है, जिस कारण कभी भी कोई अनहोनी की घटना घटित हो सकती है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त विद्युत पोल के साथ-साथ उक्त ग्राम सभा में स्थापित समस्त जर्जर विद्युत पोलों को बदलवायेंगे ? (ग) क्या उक्त के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11 सितम्बर, 2025 जोकि प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, भी प्राप्त हुआ है ? (घ) उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	ऊर्जा मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 18	18-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि ग्राम रुद्रपुर, ग्राम सभा-दुल्लापुर, ब्लाक-बाबा बेलखर नाथ धाम, तहसील-पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ में श्रीमती मंजू मिश्रा के घर के ऊपर	ऊर्जा मंत्री

बिजली का हाईटेंशन तार होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ?

(ख) यदि हाँ, तो कब तक उक्त तारों को उक्त स्थान से हटवा दिया जायेगा ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 19 — ऊर्जा मंत्री

19-(क) क्या ऊर्जा मंत्री विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, 2025 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-40 के क्रम में बतायेंगे कि ग्राम-शेखपुरा, पोस्ट-तेजीबाजार, विकास खण्ड-बक्शा, जनपद-जौनपुर में सम्बन्धित समस्या के सम्बन्ध में उत्तर के 'क' भाग में बताया गया है कि परिवर्तकों की लोड बैलेंसिंग करायी गयी, तत्पश्चात् उक्त ग्राम की विद्युत आपूर्ति सामान्य है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त ग्राम के लगभग 50 मकान अभी भी लो-वोल्टेज की समस्या का सामना कर रहे हैं ?

(ग) उक्त समस्या के निदान हेतु ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाये जाने/एक अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर लगवायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 20 — नगर विकास मंत्री

20-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ के मानसरोवर सेक्टर-पी-2/221 के सामने लगे चार खम्भों में एल0ई0डी0 लाइट खराब होने के कारण वह इलाका अँधेरे में डूबा रहता है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या के निदान हेतु खम्भों पर नई एल0ई0डी0 लाइटें लगाई जायेंगी ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 21 — नगर विकास मंत्री

21-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि सुचेता कृपलानी मार्ग, शक्ति खण्ड-4, इंदिरापुरम्, गाजियाबाद की सोसायटी के मुख्य द्वार के पास शहर के विभिन्न क्षेत्रों से कचरा जानबूझ कर डाला जा रहा है, जिस कारण स्थानीय नागरिकों को विकराल परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या का समाधान करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

डा0 मान सिंह यादव 22	22-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ के मोहल्ला कल्ली पश्चिम एकता नगर में मस्जिद के पीछे संध्या यादव के घर से राजकुमार ओझा के घर तक लगभग 700 मीटर सी0सी0/इण्टरलॉकिंग रोड न होने के कारण स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो कब तक उक्त स्थान पर सी0सी0/इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण करायेंगे ? (ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	नगर विकास मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 23	23-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि ग्राम चंदियामऊ गोमतीनगर विस्तार, जनपद लखनऊ में विद्युतीकरण न होने के कारण स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हां, तो कब तक उक्त स्थान पर विद्युतीकरण करायेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	ऊर्जा मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 24	24-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, विकास खण्ड व तहसील सिधौली के ग्राम-सिमौरी में राम गोपाल के घर से हिन्डौरा मार्ग तक की दूरी जो लगभग 03 किमी0 है, का रास्ता अत्यन्त खराब है, जिससे नागरिकों को आने-जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या के निदान हेतु डामर रोड का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 25	25-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-मछरेहटा की ग्राम पंचायत-कोडरी के गाँव कौवाकोल तक की दूरी जो लगभग 1.5 किमी0 है, का रास्ता बहुत खराब होने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु उक्त सड़क का निर्माण करायेंगे ?	मुख्य मंत्री

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 26 — 26-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, विकास खण्ड-महोली के ग्राम पंचायत सील्हापुर से भगवानपुर तक की दूरी जो लगभग 1.5 किमी0 है, का मार्ग अत्यन्त खराब है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? — मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु उक्त सड़क का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 27 — 27-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-सिधौली के ग्राम-गजोधरपुर से मुख्य मार्ग तक की दूरी जो लगभग 1.5 किमी0 है, का मार्ग अत्यन्त खराब है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है ? — मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या के निदान हेतु डामर रोड का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 28 — 28-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड व तहसील सिधौली के ग्राम-सिमौरी में मुख्य मार्ग से गांव तक की दूरी जो लगभग 2.5 किमी0 है, का मार्ग अत्यन्त खराब है, जिससे आने-जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? — मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या के निदान हेतु डामर रोड का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 29 — 29-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद उन्नाव, तहसील-उन्नाव के शुक्लागंज (गंगाघाट) में स्थित अन्त्येष्टि स्थल मिश्रा कालोनी पक्के घाट व बालूघाट पर नगर पालिका का कोई शुल्क निर्धारित न होने के कारण पण्डों तथा लकड़ी के टाल वालों द्वारा मनमाने पैसे वसूल किये जाते हैं ? — नगर विकास मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त अन्त्येष्टि स्थलों पर नगर

पालिका का नियन्त्रण कराकर अन्त्येष्टि तथा लकड़ी का शुल्क निर्धारित करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 30 — नगर विकास मंत्री

30-(क) क्या नगर विकास मंत्री विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2025 के द्वितीय सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-12 के खण्ड (ख) में बताया गया है, कि उक्त मार्ग का 4.60 लाख आगणन तैयार कर लिया गया है, उक्त कार्य को कराया जाना निकाय बोर्ड की बैठक तथा वित्तीय उपलब्धता पर निर्भर है, क्या उक्त के सन्दर्भ में बतायेंगे कि उक्त सड़क का निर्माण करा दिया गया है ?

(ख) यदि नहीं, तो कब तक करायेंगे ?

(ग) उक्त कार्य को अभी तक नहीं कराने के क्या कारण हैं ?

(घ) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 31 — ऊर्जा मंत्री

31-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि रतन खण्ड-शारदानगर योजना आशियाना, जनपद-लखनऊ में विद्युत बिल समय से नहीं आता है ?

(ख) कभी-कभी तो दो महीने तक नहीं आता, जिससे उपभोक्ताओं को एकमुश्त धनराशि जमा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

(ग) यदि हाँ, तो उक्त के विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(घ) क्या उक्त समस्या का निदान करायेंगे, ताकि हर महीने उपभोक्ताओं को समय से विद्युत बिल प्राप्त हो सके ?

श्री पवन कुमार सिंह 32 — नगर विकास मंत्री

32-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के रोटी गोदाम में शिव मन्दिर के पास कोई पार्क न होने से वहाँ पर श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना करना पड़ता है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु पार्क का निर्माण व पार्क के चारों तरफ रोड का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 33	33-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ की वृन्दावन कालोनी में सेक्टर-5 ई, जी प्लस 2, ब्लाक-न0-29 से 34 तक लोगों के द्वारा अपने-अपने मकानों के आगे बढ़ाकर घेरा/कब्जा किया गया है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उन मकानों के बढ़े हुए भाग को हटवाया जायेगा ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	नगर विकास मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 34	34-[अन्तरित]	
श्री पवन कुमार सिंह 35	35-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, विकास खण्ड-गोंदलामऊ के अन्तर्गत गोमती नदी स्थित छूला घाट पर कोई पुल न होने के कारण लोगों को नाव के सहारे घाट के दूसरी ओर जाना पड़ता है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु छूला घाट पर पुल का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह उर्फ पूनम सिंह 36	36-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ के अमराई गांव के निवासियों को विद्युत कनेक्शन स्क्वायर फिट के हिसाब दिये जा रहे हैं, जिस कारण उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त परेशानी को ध्यान में रखते हुए एक समान व्यवस्था लागू कराकर उनको भी तय धनराशि के अन्तर्गत ही कनेक्शन दिलायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	ऊर्जा मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 37	37-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, विकास खण्ड-बेहटा में ग्राम पंचायत-चंदेसुआ के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय चंदेसुआ से महिला महाविद्यालय होते हुए शाहपुर चमारनपुरवा सम्पर्क मार्ग तक की दूरी जो लगभग 1500 मी0 है, का मार्ग बहुत ही जर्जर है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कत होती है ?	मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु डामर रोड का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 38	38-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, विकास खण्ड-बेहटा में ग्राम पंचायत-चंदेसुआ के अन्तर्गत बाबा औघड़ नाथ धाम चंदेसुआ से लहरपुर भदफर मार्ग पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प के पास तक की दूरी जो लगभग 02 किमी0 है, का मार्ग बहुत ही जर्जर है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कत होती है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु डामर रोड का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 39	39-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, विकास खण्ड-पहला में ग्राम पंचायत-सन्डौर के अन्तर्गत गांव डामर रोड से खाद गोदाम तक की दूरी जो लगभग 170 मी0 है, का मार्ग बहुत ही जर्जर है, जिससे वाहनों के आवागमन में काफी दिक्कत होती है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु मार्ग पर सी0सी0/इण्टरलॉकिंग का कार्य करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 40	40-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-खैराबाद में कनवाखेड़ा मेन सम्पर्क मार्ग से इमलिया कोठी गांव तक की दूरी जो लगभग 01 किमी0 है, का मार्ग अत्यन्त खराब होने से लोगों को आवागमन की समस्या बनी रहती है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या के निदान हेतु डामर रोड का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री

नत्थी 'ख'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-ग्राम पंचायत-नवागांव में बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत नवागांव विकास खण्ड कसमण्डा, तहसील सिधौली जनपद सीतापुर के निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत नवागांव में कोई (बारात घर) सामाजिक स्थल न होने के कारण ग्रामवासियों को आंधी व बरसात के दिनों में शादी-विवाह व अन्य सामाजिक कार्यक्रम के आयोजन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम पंचायत-नवागांव में बारात घर का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-मिश्रिख, ग्राम पंचायत-बढ़ैया के मजरा टिपोना में टिपोना से बरमी रोड तक नहर के किनारे मार्ग पर लगभग 2 किलोमीटर खड़न्जा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-मिश्रिख, ग्राम पंचायत-बढ़ैया के मजरा टिपोना में टिपोना से बरमी रोड तक नहर के किनारे मार्ग पर खड़न्जा का निर्माण कराया

जाना अति आवश्यक है क्योंकि रोड कच्चा होने के कारण आस-पास के कई ग्रामवासियों को आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त रोड पर लगभग 01 किलोमीटर खड़न्जा पहले से ही लगा है किन्तु आगे 02 किलोमीटर रास्ते का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है। जिससे हम ग्रामवासियों को अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-मिश्रिख, ग्राम पंचायत-बढ़ैया के मजरा टिपोना में टिपोना से बरमी रोड तक नहर के किनारे मार्ग पर 2 किलोमीटर खड़न्जा का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखीमपुर खीरी, विकास खण्ड-नकहा, ग्राम पंचायत-मूलचन्द्रपुरवा म0 जमुनिया के अन्तर्गत शारदा तटबन्ध पर प्लाटून (पीपे का पुल) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-लखीमपुर खीरी, विकास खण्ड-नकहा, ग्राम पंचायत-मूलचन्द्रपुरवा म0 जमुनिया के अन्तर्गत शारदा तटबन्ध पर प्लाटून (पीपे का पुल) का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। शारदा तटबन्ध के आस-पास की भूमि पर नयी फसल बोने/काटने, कृषि उपकरण एवं पशु आवागमन हेतु पुल नहीं है। जिससे हम ग्रामवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-लखीमपुर खीरी, विकास खण्ड-नकहा, ग्राम पंचायत-मूलचन्द्रपुरवा म0 जमुनिया के अन्तर्गत शारदा तटबन्ध पर प्लाटून (पीपे का पुल) का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ङ'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,
माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-लखीमपुर खीरी, विकास खण्ड-मोहम्मदी, ग्राम पंचायत-भोगियापुर के मुख्य मार्ग जो नौआतारा सम्पर्क मार्ग को जाने वाले कच्चे मार्ग पर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-लखीमपुर खीरी, विकास खण्ड-मोहम्मदी, ग्राम पंचायत-भोगियापुर से लखीमपुर खीरी मुख्य मार्ग जो नौआतारा सम्पर्क मार्ग को जाने वाली कच्ची सड़क है उस पर डामरीकरण/इण्टरलॉकिंग का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। कच्ची सड़क होने के कारण अक्सर जल भराव की स्थिति बनी रहती है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड-मोहम्मदी, ग्राम पंचायत-भोगियापुर के मुख्य मार्ग जो नौआतारा सम्पर्क मार्ग को जाने वाले कच्चे मार्ग पर सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,
माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-झांसी विकास खण्ड-बामौर ग्राम पंचायत-हरदुआ में नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-झांसी, विकास खण्ड-बामौर, ग्राम पंचायत-हरदुआ के निवासी हैं। ग्राम में जल भराव की विकट समस्या है, ग्राम में अत्यधिक वर्षा होने पर गांव का पानी निकलने हेतु कोई रास्ता नहीं है। ग्राम में नाले का निर्माण कराये जाने की अति आवश्यकता है। प्रार्थना-पत्र के माध्यम से कई बार अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-झांसी, विकास खण्ड-बामौर ग्राम पंचायत-हरदुआ में नाला का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'छ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-झांसी विकास खण्ड-बामौर के ग्राम पंचायत-सरसैंडा में गौशाला की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-झांसी, विकास खण्ड-बामौर, ग्राम पंचायत-सरसैंडा के निवासी है। ग्राम पंचायत में गौशाला बना हुआ है जिसमें वर्तमान में लगभग 225 गोवंश है। जिसका बाउण्ड्रीवाल का कार्य अभी तक नहीं किया गया। प्रार्थना-पत्र के माध्यम से कई बार अनुरोध किया गया है। किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-झांसी विकास खण्ड-बामौर ग्राम पंचायत-सरसैंडा में गौशाला का बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ज'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-रायबरेली, तहसील-लालगंज, परगना सरेनी, ग्राम सगरा में पूरे पाण्डेय में (सी0 सी0 रोड) जाने वाली सड़क के पूरब दिशा में श्री ओम प्रकाश सिंह के मकान तक लगभग 150 मीटर सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-रायबरेली, तहसील-लालगंज, परगना-सरेनी, ग्राम सगरा में पूरे पाण्डेय में (सी0 सी0 रोड) जाने वाली सड़क के पूरब दिशा में श्री ओम प्रकाश सिंह के मकान तक

लगभग 150 मीटर सी0 सी0 रोड का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। उक्त मार्ग कच्चा होने के कारण वहां के निवासियों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्राम वासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-रायबरेली, तहसील-लालगंज, परगना-सरेनी, ग्राम सगरा में पूरे पाण्डेय में (सी0 सी0 रोड) जाने वाली सड़क के पूरब दिशा में श्री ओम प्रकाश सिंह के मकान तक लगभग 150 मीटर सी0 सी0 रोड का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'झ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखनऊ विज्ञान खण्ड छोटा भरवारा, जगपाल खेड़ा में विपुल श्रीवास्तव के घर से ओम प्रकाश सिंह (मकान नं0 एम0-25) के घर तक सी0 सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-लखनऊ विज्ञान खण्ड छोटा भरवारा, जगपाल खेड़ा में विपुल श्रीवास्तव के घर से ओम प्रकाश सिंह (मकान नं0 एम0-25) के घर तक सड़क की स्थिति बहुत खराब है जिससे आम जनता को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-लखनऊ विज्ञान खण्ड छोटा भरवारा, जगपाल खेड़ा में विपुल श्रीवास्तव के घर से ओम प्रकाश सिंह (मकान नं0 एम0-25) के घर तक सी0 सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (लखनऊ) द्वारा मुद्रित।